फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

जैस्मीन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, के लेनदारो के ध्यानार्थ हेतु

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	जैस्मीन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30-04-2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या /सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2010PTC202195
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	यूनिट नंबर 201/202, प्लॉट नंबर 8, एलिगेंस टॉवर, जसोला, नई दिल्ली –110025
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	09–मार्च–2024 (आदेश दिनांक 05–03–2024, आईआरपी द्वारा 09–03–2024 को प्राप्त)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	06–मार्च–2024 (आईसीडी से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**देवव्रत राणा** **पंजी. सं.** IBBI/IPA-002/IP-N00680/2018-2019/12025) एएफए वैधता 22.11.2024 तक
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	अपार्टमेंट 684, सेक्टर–ए, ब्लॉक–बी और सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070 **ईमेल:** devvartrana@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	अपार्टमेंट 684, सेक्टर–ए, ब्लॉक–बी और सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070 **ईमेल:** cirpjasmine@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	23–मार्च–2024 (आईसीडी से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	वर्ग(वर्गों) का नाम: रियल एस्टेट आवंटी
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**1. अमित तलवार** (पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N01178/2021-2022/13887) **2. राजेंद्र पाल चंदेल** (पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N01220/2022-2023/14135) **3. शशि भूषण प्रसाद** (पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00676/2018-19/12114)
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	वेब लिंक: www.cirpjasmine.com www.ibbi.gov.in भौतिक पता: कॉलम नंबर 10

ऐतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, ने **09.03.2024** को **जैस्मीन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड** की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (05–03–2024 का आदेश, 09–03–2024 को आईआरपी द्वारा प्राप्त)

जैस्मीन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को **23.03.2024** को या उससे पहले अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को अपने दावे सबूत समेत प्रविष्टि सं. 10 में उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं.

एक वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के खिलाफ सूचीबद्ध है, फॉर्म सीए में वर्ग **(रियल एस्टेट आवंटी)** के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अपनी पसंद का एक अधिकृत प्रतिनिधि इंगित करेगा। आज तक आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

देवव्रत राणा
जैरमीन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल

दिनांक : 12.03.2024
स्थान : नई दिल्ली

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत पता : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई 400013, सीआईएन नं.: U67190MH2008PLC187552

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में "दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स" के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना/ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है, तथा उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति/यां प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष खड़ी नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान करें। ऋण के निहत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी (रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.) निम्न तिथियों के अनुसार	मांग सूचना की तिथि एवं एनपीए की तिथि
9676592, TCHIN03990001000 80289	श्री नवीन चौहान (उधारकर्ता) एवं श्रीमती पूजा उपनाम पूजा देवी (सह–उधारकर्ता)	26/02/2024 के अनुसार, राशि रु. 20,93,169/– (रुपये बीस लाख तिरानवे हजार एक सौ उनहत्तर मात्र) ऋण खाता संख्या 9676592 के तहत आपके द्वारा देय एवं भुगतानयोग्य है और एक राशि रु. 2,54,541/– (रुपये दो लाख चौवन हजार पांच सौ इकतालिस मात्र) ऋण खाता संख्या TCHIN0399000100080289 के अंतर्गत आपके द्वारा देय एवं भुगतानयोग्य है अर्थात कुल रु. 23,47,710/– (रुपये तेईस लाख सैंतालिस हजार सात सौ दस मात्र)	26–02–2024 एवं 07–02–2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : सं. 29–बी धारक आवासीय फ्लैट के समस्त वह भाग तथा अंश (छताधिकारों के बिना सुपर फिनिश्ड), सं. 118/29 धारक स्वामित्वधारी भूखंड पर निर्मित तिमंजिला भवन के 02वें तल पर, जिसका आवृत्त क्षेत्रफल 64.49 वर्ग मीटर, अमर एन्क्लेव, मॉडल टॉउन (पूर्व), गाजियाबाद, तहसील एवं जनपद– गाजियाबाद – 201009 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख–सुविधाओं के साथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है– सीमायें :– पूर्व– भूखंड सं. 27 एवं 28 भूतल पर, पश्चिम– संपत्ति सं. 30वी, उत्तर– अन्य स्वामियों की संपत्ति, दक्षिण– भूतल पर 18' चौड़ी सडक।

*संबंधित मांग सूचना दिनांकित उपरांकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत है। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी।

उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति–अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

दिनांक : 12-03-2024
स्थान : दिल्ली

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्ररूप बी
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अधीन)

मेसर्स माइक्रो स्टॉक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	मेसर्स माइक्रो स्टॉक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12.01.2010
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, (दिल्ली) कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या	U65923DL2010PTC197855
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	98, शहजादा बाग, औद्योगिक क्षेत्र ओल्ड रोहतक रोड, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035
6.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की तिथि	25.01.2024
7.	कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन प्रारंभ तिथि	04.03.2024 (परिसमापक द्वारा आदेश 11.03.2024 को प्राप्त हुआ)
8.	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	गौरव कटियार IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409 (एएफए 05.11.2024 तक वैध)
9.	परिसमापक का पता और ई-मेल, जो कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	डी-32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 E-Mail: cagauravkatiyar@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	डी-32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 E-Mail: liquidator.msh@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	03.04.2024

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (नई दिल्ली बेंच) ने **04.03.2024** को **मेसर्स माइक्रो स्टॉक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड** का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

मेसर्स माइक्रो स्टॉक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को प्रमाण के साथ अपने दावे **03.04.2024** को या उससे पहले आइटम नंबर 10 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

गौरव कटियार - परिसमापक
आईबीबीआई पंजीकृत सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409
(एएफए 05.11.2024 तक वैध)
डी-32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11.03.2024

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्तन ोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में भ्विष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	47939420000367 और 47939410000111	1) श्री अतीक अहमद (आवेदक), 2)श्रीमती नजमा (सह–आवेदक)	26.12..2023 रु.20,07,104/–/– (रुपये बीस लाख सात हजार एक सौ चार मात्र) 21.12..2023 तक	तारीख: 08.03.2024 समय: 02:42 पूर्वाह्न सांकेतिक कब्जा

वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर बी–120, खसरा नंबर 312 मिनट पर निर्मित रेल विहार, सहकारी आवास समिति लिमिटेड, हदबस्त गांव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित है। जो श्रीमती नजमा, पत्नी श्री अतीक अहमद. के स्वामित्व में। सीमाबद्ध: पूर्व: प्लॉट नंबर बी–119, पश्चिम: रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तर: दूसरों की भूमि, दक्षिण: आर.एच.एस फ्लैट।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षितपरिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थान:दिल्ली एनसीआर
दिनांक:12.03.2024,

हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जनास्मॉलफाइनेंसबैंक
(एकअनुसूचितवाणिज्यिकबैंक)

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071 शाखा कार्यालय16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क

अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय:– 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन:–011–23357171, 23357172, 23705414, web:- www.pnbhousing.com
लखनऊ शाखा: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 307 और 308, तीसरी मंजिल, वाणिज्यिक परिसर, साइबर हाइट्स, गोमती नगर लखनऊ –226010

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या–ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित के पास गिरवी/चार्ज की गई है। लेनदार, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है (जैसा कि कॉलम संख्या–सी में वर्णित है), "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" के आधार पर बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार "है और जो कुछ भी है उसका आधार है"। इसके द्वारा संबंधित के उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (यदि ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) को नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं) को आज की तारीख में संशोधित सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम –8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या–ए में दर्शाया जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www-pnbhousing-com पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर (ऋ) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी)(ई)	ईएमडी (आरपी का10%)(एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	प्राप्त ऋणदाता/ न्यायालय मामला यदि कोई (के)
HOU/LUC/0119/633961, बी.ओ.लखनऊ, राजेश कुमार, श्रीमती मंजू देवी	11.10.2022 तक रु. 34,12,458.49/-	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर 17 पर, खसरा नंबर 293 और 294 सरस्वतीपुरम, राम आसरे पुरवा, ग्राम हुसिदिया गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010	रु. 44,44,000/–	रु. 4,44,400/–	15.04.2024 शाम 5.30 बजे से पहले	रु. 10,000/-	05.04.2024 पूर्वा 12.00 बजे से अप 05:30 बजे	16.04.2024 पूर्वा 12.00 बजे से अप 02:00 बजे	Not Know

उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुचरी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों पर संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं है, सिवाय उनके जो कॉलम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ईन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कॉलम नंबर–के में वर्णित, कार्रवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती है तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सें) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती है। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25: (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25: प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75: बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी अनुपम त्रिपाठी, संपर्क नंबर 1800 120 8800, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें

स्थान : लखनऊ, दिनांक : 12.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, छल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071

क्षेत्रीय शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

जबकि आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता है, और उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तारीख से, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस तामील नहीं किया जा सका।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तारीख और डिमांड नोटिस की तारीख	बकाया राशि रुपये में./तिथि से
1	1) मैसर्स. हिंदुस्तान ट्रेडर्स, का प्रतिनिधित्व इसके मालिक मोहम्मद इरफान ने किया।, 2) मो. इरफान (उधारकर्ता), 3)श्रीमती हसीना (गारंटर)	ऋण खाता संख्या 46120200006449804612864000053 उधार की राशि: रु. 75,70,000/– रु.5,00,000/–	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: भाग–'ए' – बंधक चल संपत्तियां: खाते की किताबों में सभी कच्चे माल और स्टॉक और कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मैसर्स हिंदुस्तान ट्रेडर्स, 32 आजाद रोड, गोला कुआँ, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002 के प्राप्य और बुक ऋण पर पहला शुल्क। भाग–'बी': बंधक अचल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति – संपत्ति विवरण मकान संख्या 190/9 का) भाग, क्षेत्रफल 63.75 वर्ग मीटर, स्कीम नंबर 7, सेक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ में स्थित है। जो मोहम्मद इरफान पुत्र मो. हबीब. के स्वामित्व में।	एनपीए की तारीख 02.01.2024 डिमांड नोटिस की तारीख 06.03.2024	रु.71,76,610/– (इकहत्तर लाख छियाहत्तर हजार छह सौ दस रूपये मात्र) 04–03–2024 तक
2	1) श्री अल्ताब, अल्ताब के मालिक, प्रो. वाहिद जनरल स्टोर (आवेदक), 2)श्रीमती शैदान (सह–आवेदक)	ऋण खाता संख्या 30419440000426 उधार की राशि: रू. 3,53,497/–	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: बंधक चल संपत्तियां: प्लॉट नंबर 36, रकबा 50 वर्ग गज, खसरा नंबर 171 खतुआनी नंबर 282, म्यू नंबर 100, किला नंबर)(3–4), 2/1(5–15), 3/1(0–5), 9(8–0) वाका मौजा बडखल तहसील एवं जिला फरीदाबाद. शाईदान के, पत्नी आमीन खान. के स्वामित्व में घिरा: पूर्व: प्लॉट नंबर 37, पश्चिम: प्लॉट नंबर 35, उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: रास्ता 15 फीट।	एनपीए की तारीख 02.03..2024 डिमांड नोटिस की तारीख 06.03.2024	रु.2,99,594/– (दो लाख निन्यानबे हजार पांच सौ चौरानवे रुपये मात्र) 04–03–2024 तक
3	1) मैसर्स. नईम, प्रो. नईम सर्विसेज, इसके मालिक श्री नईम द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री नईम (उधारकर्ता), 3)श्रीमती रुखसाना (गारंटर)	ऋण खाता संख्या 30689440000815 उधार की राशि: रु. 75,70,000/– रु.5,00,000/–	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: भाग–'ए' – बंधक चल संपत्तियां: खाते की किताबों में सभी कच्चे माल और स्टॉक और कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मैसर्स नईम, प्रो. नईम सर्विसेज, सुहाना नगला अखू, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201204 के प्राप्य और बुक ऋण पर पहला शुल्क। भाग–'बी': बंधक अचल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति – संपत्ति विवरण: 1 किट्टा प्लॉट, क्षेत्रफल 99.55 वर्ग गज, वाका अंदर आबादी ग्राम सुहाना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित है। जो श्रीमती रुखसाना, पत्नी श्री नईम. के स्वामित्व में। इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: इस्लाम का भूखंड, पश्चिम:रास्ता 10 फीट चौड़ा, उत्तर: नईम का घर, दक्षिण: रास्ता 10 फीट चौड़ा।	एनपीए की तारीख 01.03..2024 डिमांड नोटिस की तारीख 06.03.2024	रु.1,66,993/– (एक लाख छियासठ हजार नौ सौ तिरानबे रुपये मात्र) 04–03–2024 तक

इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/